न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

निगरानी सं0 05/2018

1. कुरडाराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी रसलाना तहसील भादरा (हनुमानगढ़)।

– प्रार्थी

बनाम्

1. बेगराज पुत्र दुलाराम जाति नाई निवासी रसलाना तहसील भादरा(हनुमानगढ)।
2. बलाराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रसलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत रसलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय पंचायत समिति भादरा प्रकरण 19/15 दिनांक 10.10.2017 व बअनवानी बेगराज बनाम कुरड़ाराम में पारित किया गया को अपास्त करवाने बाबत्।

उपस्थित:– श्री हवासिंह, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री नरेन्द्र कुमार जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक:– 05.02.2020

प्रार्थी ने बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति भादरा के निर्णय दिनांक 10.10.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1. गैरसायल संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ समिति में एक अपील इस आशय की पेश की कि अपीलांट के कब्जा शुद्धा भूखण्ड रासलाना की आबादी में स्थित है। जिसके उतर में करणपुरा व भादरा का आम रास्ता दक्षिण में गुंजासरी की और जाने का रास्ता व पूर्व में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

रामसिंह का मकान तथा पश्चिम में स्वयं बेगराज का मकान है। इस प्लाट में बेगराज के 15–20 साल पुरानी कड़े पशुओं के लिए ठाण छप्पर बना रखे है। इसी प्रकार अपीलान्ट सख्या 2 के प्लाट के पूर्व में ताराचन्द का प्लाट पूर्व में अपीलान्ट सख्या 1 का मकान उतर में बेगराज का भूखण्ड तथा दक्षिण में गुजासरी का रास्ता है। रेस्पोडेन्ट कुरडाराम उक्त दोनो भूखण्डों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है तथा दिनांक 28.02.2017 को ग्राम पंचायत रासलाना से एक फर्जी पट्टा बना रखा है। रेस्पोडेन्ट का इस भूखण्ड पर कोई पट्टा नहीं है। रेस्पोडेंट फर्जी भूखण्डों के आधार पर कब्जा चाहता है इसलिए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जारी दिनांक 28.02.1977 को जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावें। अपील दर्ज होने के पश्चात सायल ना तो कोई नोटिस प्राप्त हुआ है तथा अधिनस्थ समिति के द्वारा समस्त फर्जी कार्यवाही की जाकर दिनांक 10.10.17 को सायल के हक में जारी पट्टा दिनांक 28.02.1977 को निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर सायल निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है–

(क) यह कि अपीलाधीन निर्णय कतई गलत व विधि के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरित है तथा काबिले खारिज के है नकल निर्णय संलग्न निगरानी है।

(ख) अधीनस्थ समिति के द्वारा सायल के पक्ष में जारी पटटा को पंचायत मे रिकार्ड में मौजुद नहीं होना मानकर निरस्त किया है जबकि सायल ने अपने पटटे का ग्राम पंचायत सरपंच से दिनांक 21.05.2014 ने सायल के पटटे का सही होना मानकर नकल जारी की गई है। अधिनस्थ समिति के द्वारा अपने निर्णय में बिल्कुल ही गलत अंकन कर सायल के पटटा को निरस्त किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं काबिले खारिज है।

(ग) अधीनस्थ समिति के द्वारा सायल का पटटा इस आधार पर निरस्त किया है कि रेस्पोडेंट विवादित स्थल पर कब्जा नहीं है कब्जा होने पर ही ग्राम पंचायत के द्वारा पटटा जारी किया जाता है तो ऐसी सुरत में यह नहीं कहा जा सकता की विवादित स्थल खाली है।

(घ) गैरसायल ने अपनी अपील में यह कहकर प्रस्तुत की हैं जो दिनांक 10.07.15 को पेश की जबकि सायल के द्वारा एक वाद 50/14 बेगराज न्यायाधीश क.ख. भादरा में पेश किया हुआ था जिस पर गैरसायल बेगराज दिनांक 26.05.14 को उपस्थित आ चुका था, जिसमें वाद सुनवाई उसी रोज मौका की यथास्थिति बनायें रखने के आदेश जारी कर दिये थे उसके पश्चात उक्त अपील पेश हुई व राजनैतिक दवाब के कारण सायल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के पट्टे को खारिज कर दिया जो विधि के सिद्धान्तों के विपरित है तथा काबिल खारिजी केक है।

(ड़) अधीनस्थ समिति को यह भलीभांति ज्ञान था कि कुरड़ाराम का पटटा ग्राम पंचायत से सन 1977 में जारी हुआ है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत में तथा जानबुझकर रिकार्ड नहीं होना अंकित किया तथा ना ही सायल को कोई सूचना दी गयी चुंकी सायल के द्वारा सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार था जिसके गैरसायलान स0 1 व 2 उपस्थित थे। बावजूद इसके सायल को कोई नोटिस ही नहीं दिया गया व सायल का पटटा निरस्त किया गया है जो गलत व विधि के मुलभूत सिद्धान्तों के विपरित है तथा काबिले खारिजी के है।

(च) सायल एक गरीब व कमजोर व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा गैरसायल स0 1 व 2 ने गैर सायल 4 के साथ मिलकर उठाया है। गैरसायल स0 1 व 2 राजनैतिक व प्रभावशाली व्यक्ति है जिसका अनुचित फायदा उठाकर गरीब सायल का सन 1977 से जारी पटटा जो कि पंचायत के रिकार्ड में दर्ज है को ना दर्ज होना मानकर निरस्त किया है जो कतई गलत निरस्त किया है, निर्णय काबिले खारिजी के है।

2. सायल ने गैरसायल स0 1 व 2 केक सिविल न्यायालय द्वारा में वाद पेश कर रखा था तथा उक्त वाद में जो हाजिर हो चुके थे तथा सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेशभी जारी कर रखा था ऐसी स्थिति में गैरसायल स0 1 व 2 ने अधिनस्थ समिति से साजबाज करके दिनांक 10.10.17 को सायल के पक्ष में जारी पटटा को इकतरफा कार्यवाही केक आधार पर निरस्त करवा दिया जिसकी सायल को कोई जानकरी नहीं है। चुंकि सायल की सिविल दावा में गत पेशी दिनांक 12.12.2017 थी तथा आगामी पेशी दिनांक 19.02.2018 निश्चित है तो दिनांक 01.02.2018 को गैरसायल ने सायल को धमकी दी की तुम्हारा पटटा हमने पंचायत समिति भादरा से निरस्त करवा दिया है। जिस पर सायल ने नकल हाज व खर्चा हर्जे की व्यवस्था कर आज बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत कर रहा है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 10.10.2017 निरस्त फरमाया जावें व सायल के पट्टे को बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया कि पंचायत समिति भादरा के निर्णय दिनांक 10.10.2017 के विरूद्ध यह निगरानी पेश की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। 1977 को मेरे नाम जारी पट्टा पर हम बाड़े व नोहरे के रूप में प्रयोग करते है। अप्रार्थी प्रभावशाली है व मेरे प्लॉट के पड़ोसी है तथा हमारे प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। सिविल कोर्ट में हमने केस किया जिसमें यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की हुई है जिसकी नकल हमनें पेश की है। सिविल कोर्ट में दिनांक 26.05.14 को ये उपस्थित हुए तथा इसके बाद दिनांक 10.07.15 को पंचायत समिति भादरा में अपील पेश की। इन्होने 38 वर्ष बाद अपील पेश की व विलम्ब के लिए दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया। अपनी अपील के साथ इन्होनें पट्टे की प्रति भी पेश नहीं की इस आधार पर बना दस्तावेज अपील दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। बिना मुझे विधिवत सुने निर्णय पारित कर पट्टा खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत की रिपोर्ट यह आयी की इस पट्टे से संबंधी कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। प्रशासन स्थापना समिति की मौका रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है और ना ही किसी पक्षकार की उपस्थिति में मौका देखा गया है, न हमें बुलाया। हमारा पट्टा विधि सम्मत है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुए प्रशासन स्थापना समिति का निर्णय निरस्त फरमावें। यह प्रकरण सिविल कोर्ट में भी जैराकार है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि हमनें दिनांक 10.17.2015 को प्रशासन स्थापना समिति में एक अपील पेश की। प्लॉट पर हमारा कब्जा है इन्होनें ग्राम पंचायत रासलाना से एक फर्जी पट्टा बना रखा है जिस पर न ही गवाहों के न ही सचिव के हस्ताक्षर है। इनका कब्जा भी नहीं था तो पट्टा कैसे जारी हो सकता है। इनको नोटिस भेजा इन्होंने लेने से इन्कार कर दिया तब चस्पांदगी द्वारा तामील की। रजिस्टर्ड नोटिस भी भेजा फिर भी ये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। ग्रामसेवक ने रिपोर्ट पेश कि की इस पट्टे की कोई पत्रावली नहीं है न रशीद है और ना ही मौका रिपोर्ट है। दिनांक 14.09.2016 की रिपोर्ट पट्टे की प्रति पत्रावली के साथ हमनें पेश की थी। पंचायत समिति सदस्यों की मौका रिपोर्ट में हमारा कब्जा स्पष्ट साबित है इसी आधार पर समिति ने पट्टा निरस्त किया है जो सही किया है। प्रशासन स्थापना समिति में लिमिटेशन लागू नहीं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुन बहस में निवेदन किया कि पट्टा की प्रति हमने निरस्त की जानकारी होने पर बाद में पंचायत समिति में 30.11.2017 को पेश किया जबकि पट्टा पहले ही निरस्त कर दिया था। इनके द्वारा कोई पट्टे की प्रति अपील के साथ पेश नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की है। पत्रावली में बिना पट्टे की प्रति/पट्टे के अभाव में अपील दर्ज कर पट्टा कैसे खारिज कर सकते है। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता निगरानीकर्ता के द्वारा अपनी बहस में दिया गया तर्क की वर्ष 1977 में उनको जारी किया गया पटटा 48 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील में बिना मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अपील को मियाद में मानते हुए पंचायत समिति भादरा की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा खारिज कर दिया गया है उचित प्रतित होता है। पंचायत समिति की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था अतः बिना मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा अपील को सुनना और निर्णय करना विधि सम्मत नहीं है। पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति के द्वारा अपना निर्णय अपीलाधीन पटटे की प्रति के अभाव में पारित किया गया है। पंचायत समिति की पत्रावली में अपीलाधीन पटटे की कोई प्रति नहीं है और ना ही निर्णय में पटटे की प्रति का पत्रावली में उपलब्ध होने का उल्लेख है। इस प्रकार बिना अपीलाधीन पटटे का अवलोकन किये उसे खारिज करने का निर्णय पारित किया जाना भी विधि सम्मत नहीं है। पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति के द्वारा केवल मौका निरीक्षण करवा कर कब्जे के आधार पर निर्णय पारित करना उचित नहीं है। इस प्रकार बिना मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के 48 वर्ष पुराना पटटा अपील के माध्यम से खारिज करना विधि सम्मत नहीं होने के कारण पंचायत समिति भादरा की प्रशासन एवं स्थापना समिति का निर्णय दिनांक 10.10.2017 को खारिज किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें। निर्णय की प्रति पंचायत समिति को पालनार्थ प्रेषित कि जावे।

5/2/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official